सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक), (राजस्थान)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —282/2021

अनवान : —

1. कान्ता पत्नि सुभाषचंद्र जाति जाट निवासी देवगढ त0 तारानगर जिला चुरू।

:— **वादीया**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादी**

आज यह वाद शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री सुभाषचंद्र शर्मा व प्रतिवादी राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 410/358 के खसरा सं0 455 की 8.7890है0 बारानी खातेदारी में वादीया के नाम दर्ज 197.5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादीया कान्ता के राजस्व रिकार्ड में कान्ता पत्नी **रणवीरसिंह** की जगह कान्ता पत्नी सुभाषचन्द्र की घोषणा की जाती है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.9.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:39:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –282/2021

अनवान : –

1. कान्ता पत्नि सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी देवगढ त0 तारानगर जिला चुरु।

:–वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुभाषचंद्र शर्मा वादीया
राज पैरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 17.9.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 410/358 के खसरा सं0 455 की 8.7890है0 में वादीया के नाम 197.5 हिस्सा खातेदारी जरिये बैयनामा दिनांक 08.02.2007 को मोहनलाल, सोहनलाल, विजयकुमार, जगतकुमार व कमलकुमार पुत्रान कुनणमल जाति महाजन निवासी डूंगराना से खरीद की हुई है।

उपर वर्णित भूमि में दर्ज कराते समय वादीया का नाम कान्ता पत्नी रणवीसिंह दर्ज दर्ज करवा लिया था। जबकि उक्त कृषि भूमि क्रय करने से पूर्व ही वादीया के पति रणवीरसिंह का देहान्त दिनांक 14.11.2001 हो गया। तत्पश्चात वादीया ने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए दिनांक 01.01.2008 को अपने पूर्व मृत पति रणवीरसिंह के भाई सुभाषचन्द्र पुत्र मोहरसिंह निवासी देवगंढ त0 तारानगर से विवाह कर लिया। वादीया के विवाह पंजीयन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज कान्ता पत्नी सुभाषचंद्र के नाम से ही है। वादीया का सभी दस्तावेजों में नाम कान्ता पत्नी सुभाषचन्द्र ही दर्ज है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादीया उपरोक्त वर्णित कृषी भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपने पति का नाम कान्ता पत्नी सुभाषचन्द्र करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] वादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद [illegible] पेश किया।

साक्ष्य वादी में कान्ता [illegible] जाट के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा डूगरानां खाता [illegible] 410/358 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, मूल बैयनामा प्रदर्श 2, चित्रप्रति बैयनामा प्रदर्श 2ए, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र रणवीरसिंह प्रदर्श 3,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:39:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रणवीरसिंह प्रदर्श 3ए, मूल विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, चित्रप्रति विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए, मूल आधार कार्ड प्रदर्श 5, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए, मूल परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 6, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 6ए, प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र तहसीलदार भादरा दिनांक 19.07.2021 प्रदर्श 7, चित्रप्रति वोटर पहचान पत्र स्लिप प्रदर्श 8ए व शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 410/358 के खसरा सं0 455 की 8.7890है0 बारानी खातेदारी में वादीया के नाम दर्ज 197.5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादीया के पति का नाम कान्ता पत्नी **रणवीरसिंह** दर्ज करवाया था। वादीया के पति रणवीरसिंह का देहान्त दिनांक 14.11.2001 हो गया। तत्पश्चात वादीया ने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए दिनांक 01.01.2008 को अपने पूर्व मृत पति रणवीरसिंह के भाई सुभाषचन्द्र पुत्र मोहरसिंह निवासी देवगढ त0 तारानगर से विवाह कर लिया। जबकि वादीया कान्ता के पति का नाम सुभाषचन्द्र है। शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 में वादीया ने अपने पूर्व पति रणवीरसिंह के कोई कानूनी वारिस नहीं होना बताया है। वादीया ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो कान्ता पत्नी सुभाषचंद्र के नाम से ही है। इस प्रकार वादीया अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूंगराना तहसील भादरा के खसरा के खाता सं0 410/358 के खसरा सं0 455 की 8.7890है0 बारानी खातेदारी में वादीया के नाम दर्ज 197.5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादीया कान्ता के राजस्व रिकार्ड में कान्ता पत्नी **रणवीरसिंह** की जगह **कान्ता पत्नी सुभाषचन्द्र** की घोषणा की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच कान्ता पत्नी रणवीरसिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में कान्ता पत्नी रणवीरसिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी कान्ता पत्नी रणवीरसिंह के नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.9.2021 को न्यायालय जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:39:18 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner